UPMT010049462026

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा**

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

**{J.O.Code No. UP6191}**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2135/2026**

**नेत्रपाल बनाम उ.प्र.राज्य**

**आदेश**

1. मुकदमा अपराध संख्या–87/2026 धारा–309(4), 317(2)भारतीय न्याय संहिता, थाना–मांट, जिला– मथुरा के अभियुक्त **नेत्रपाल पुत्र मुरारीलाल** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी नेत्रपाल पुत्र स्व. सोहनलाल, मांट राजा, थाना मांट, मथुरा का निवासी है। दिनांक 26.04.2026 को अपनी ड्यूटी करके होटल दिव्यानी, यमुना एक्सप्रेस–वे से यमुना एक्सप्रेस–वे सर्विस रोड होते हुए साइकिल से घर लौटते समय प्रातः करीब 06:00 बजे राधारानी अण्डरपास के पास पीछे से आए एक मोटर साइकिल पर सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उसका VIVO Y31 PRO मोबाइल छीन लिया, जिससे उसकी साइकिल गिर गई। इसके बाद उन्होंने उसका पर्स, जिसमें एटीएम कार्ड, आधार कार्ड एवं 350 रुपये थे, भी छीन लिया। हल्ला मचाने से पहले ही तीनों व्यक्ति भाग गए। प्रार्थी ने डर के कारण तत्काल रिपोर्ट नहीं की तथा दिनांक 01.05.2026 को थाना आकर रिपोर्ट लिखकर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की याचना की है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 87/2026, धारा–309(4) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा– 317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।
3. अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त का मुकदमा अपराध संख्या 87/2026, 114/2026 एवं 115/2026 (थाना मांट, मथुरा के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या 114/2026 के संबंध में अभियुक्त की कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र लंबित नहीं है। अभियुक्त निर्दोष है, वर्तमान मुकदमे में झूठा एवं दुर्भावनावश फँसाया गया है। कथित घटना से उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज है। अभियुक्तगण के अज्ञात होने के बावजूद कोई वैधानिक शिनाख्त

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.07.06 10:55:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं कराई गई तथा कोई स्वतंत्र, निष्पक्ष या विश्वसनीय गवाह भी संकलित नहीं किया गया। अभियुक्त को केवल पुलिस के मनगढ़ंत कथनों एवं संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है। अभियुक्त को दिनांक 18.05.2026 को प्रातः लगभग 05:24 बजे उसके निवास से उठाया जाना, जिसकी CCTV फुटेज उपलब्ध होना तथा यह तथ्य रिमांड के समय न्यायालय के संज्ञान में लाया जाना बताया गया है, जबकि पुलिस अभिलेखों में गिरफ्तारी दिनांक 19.05.2026 समय 15:50 बजे दर्शाई गई है। थाना मांट पर पंजीकृत मु०अ०सं० 87/2026 एवं 114/2026 प्रारम्भ में अज्ञात के विरुद्ध थे, किन्तु बाद में मु०अ०सं० 115/2026 दर्ज कर अभियुक्त को तीनों मुकदमों में निरुद्ध किया गया। बरामदगी में किसी सार्वजनिक या स्वतंत्र साक्षी को शामिल नहीं किया गया। ग्राम स्थित कृषि भूमि को लेकर प्रभावशाली भू–माफियाओं से पुराने विवाद एवं उनके प्रभाव में पुलिस द्वारा अभियुक्त को फँसाकर पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करने एवं किसी साक्ष्य या गवाह को प्रभावित नहीं करेगा है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।
6. अभियोजन के अनुसार, दिनांक 26.04.2026 को प्रातः लगभग 06:00 बजे वादी नेत्रपाल से राधारानी अण्डरपास के पास मोटर साइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा VIVO Y31 PRO मोबाइल तथा पर्स, जिसमें एटीएम कार्ड, आधार कार्ड एवं 350/– रूपये थे, छीनकर फरार होने का आरोप आक्षेपित है।
7. स्वीकृत रूप से कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त को अन्य सहअभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से घटना से संबंधित मोबाइल अन्य सामान बरामद हुए। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त कई दिनांक से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना बताया है परंतु अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **नेत्रपाल पुत्र मुरारीलाल** द्वारा मुवलिग 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

   क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

   ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

   ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

   घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

   ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–04.07.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191